न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 142 / 2014

1 भुराराम आयु 78 साल
2 रामकरण आयु 73 साल
3 पूरणमल आयु 71 साल
4 शिशुपाल आयु 68 साल
5 रामकुमार आयु 63 साल पिसरान तिलोकाराम जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 भागोती आयु 83 साल स्त्री मोहनलाल
2 रामचन्द्र आयु 55 साल पुत्र मोहनलाल
3 महावीर प्रसाद आयु 51 साल दत्तक पुत्र श्योराम
4 किशनी आयु 78 साल स्त्री केशाराम जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 सीताराम उम्र 51 साल
6 बनवारीलाल आयु 61 साल पिसरान केशाराम उर्फ केशर जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 बसन्ती आयु 58 साल पुत्री केशाराम स्त्री जगदीश जाति जांगिड़ निवासी बेरासर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8 अन्नु आयु 55 साल पुत्री केशाराम स्त्री इन्द्र जाति जांगिड़ निवासी बैरासर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2015 बमुकदमा उनवानी भागोती वगै. बनाम महावीर प्रसाद वगै. दावा बाबत घोषणा, विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 50/2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

अपील संख्या 143/2017

1 भुराराम आयु 78 साल
2 रामकरण आयु 73 साल
3 पूरणमल आयु 71 साल
4 शिशुपाल आयु 68 साल
5 रामकुमार आयु 63 साल पिसरान तिलोकाराम जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 भागोती आयु 83 साल स्त्री मोहनलाल
2 रामचन्द्र आयु 55 साल पुत्र मोहनलाल
3 महावीर प्रसाद आयु 51 साल दत्तक पुत्र श्योराम
4 किशनी आयु 78 साल स्त्री केशाराम जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
5 सीताराम उम्र 51 साल
6 बनवारीलाल आयु 61 साल पिसरान केशाराम उर्फ केशर जाति जांगिड़ निवासी भुदा का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 बसन्ती आयु 58 साल पुत्री केशाराम स्त्री जगदीश जाति जांगिड़ निवासी बेरासर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8 अन्नु आयु 55 साल पुत्री केशाराम स्त्री इन्द्र जाति जांगिड़ निवासी बैरासर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

9 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टमकोर जिला झुन्झुनूं।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 बमुकदमा उनवानी भागोती वगै. बनाम महावीर प्रसाद वगै. दावा बाबत घोषणा, विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 50/2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शंकरलाल मीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 15/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 व 15.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेनट 1 ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 3, 37, 23, 124 इनमें से खसरा नम्बर 3 के हाल खसरा नम्बर 5, 6 व खसरा नम्बर 23 के हाल खसरा नम्बर 44, 45

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाके ग्राम भुदा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 7 लगायत 11 को रेस्पोडेन्टस नम्बर 1, 2/वादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये दावा के बाबत कभी कोई जानकारी नहीं हुई न कभी अपीलान्टस को दावा के सम्मन ही प्राप्त हुये। वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1, 2 ने तामील कुनिन्दा से साजिश करके अपीलान्टस की झूठी तामील दिखाकर अपीलान्टस की बिना किसी प्रकार से कोई सुनवाई किये विचारण न्यायालय द्वारा गलत एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट मात्र जमीन पुराना खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बीघा 8 से संबंध रखते है तथा दावा की शेष विवादित भूमि का अपीलान्टस से कोई संबंध नहीं है। अपीलान्टस से संबंधित भूमि के नये खसरा नम्बर 44 रकबा 1.77 है. व खसरा नम्बर 45 रकबा 1.11 है. वाके ग्राम भुदा का बास डाले गये है। असल में भूमि पुराना खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बीघा 8 बिश्वा के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पिता तिलोकाराम व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 3 लगायत 8 के पिता केशाराम उर्फ केशर व उसका भाई श्योराम के पिता खड़गा थे। इस जमीन में उक्त तिलोकाराम के हिस्से में 7 बीघा व उक्त खड़गा के हिस्से में 4 बीघा 8 विश्वा जमीन थी। उक्त तिलोकाराम व उक्त खड़गा अपनी अपनी खातेदारी की जमीन को अलग अलग काश्त करते थे। बाद में उक्त खड़गा की 4 बीघा 8 बिश्वा जमीन को उक्त खड़गा के पुत्र केशर उर्फ केशाराम व श्योराम काश्त करने लगे। उक्त तिलोकाराम की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की 7 बीघा जमीन के खातेदार काश्तकार उसके पुत्रगण अपीलान्टस हुये व काबिज हुये। बाद में झुन्झुनूं तहसील में सेटलमेंट का कार्य होने पर अपीलान्टस की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि 7 बीघा के नये खसरा नम्बर 44 तादादी 1.77 है. व उक्त केशाराम उर्फ केशर व श्योराम की खातेदारी की भूमि के नये खसरा नम्बर 45 रकबा 7.11 है. डाले गये। राजस्व रिकार्ड में भूमि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 3 लगायत 8 के नाम से दर्ज रिकार्ड रही व इसी प्रकार मौके पर कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 44 रकबा 1.77 है. खसरा नम्बर 45 रकबा 1.11 है कुल किता 2 रकबा 2.88 है. में से बिना किसी आधार के 1.11 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रारंभिक डिक्री पारित की जो कानून की परिधि में नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कह दिये जाने मात्र से किसी जमीन का खात्तेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित जमीन पुराना खसरा नम्बर 23 रकबा 11 बीघा 8 बिश्वा के अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 3 लगायत 6 के जमीन पर कब्जा काश्त के अनुसार नये सेटलमेंट में नये खसरा नम्बर 44 रकबा 1. 77 है. जिस पर अपीलान्टस का भौतिक कब्जा है व नये खसरा नम्बर 45 रकबा 1.11 है. जिस पर रेस्पोडेन्टस नम्बर 3 लगायत 8 का भौतिक कब्जा है के आधार पर नये खसरा नम्बर डाले गये है। पत्रावली पर न तो ऐसा कोई सबूत है जिससे वादीगण के पति व पिता मोहनलाल का कथित केशर उर्फ केशाराम व श्योराम का भाई होना माना जा सके तथा ऐसा कोई सबूत है जिसके आधार पहले उक्त मोहनलाल व उक्त मोहनलाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1, 2 का कब्जा काश्त माना जा सके। सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1, 2 का जमीन खसरा नम्बर 44, 45 के किसी प्रकार का कोई संबंध रहा होना स्थापित नहीं होता। इस प्रकार जमीन खसरा नम्बर 44 व 45 कुल रकबा 2.88 है. में से 1.11 है. के खातेदार वादीगण/रेस्पोडेन्टस नम्बर 1, 2 को घोषित किये जाने बाबत निर्णय व डिक्री निराधार होने से निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 479, डीएनजे 2015(4) राज पेज 1442, एआईआर 1998 राज पेज 85, आरएलआर 1995 (1) पेज 441, आरआरटी 2011(1) पेज 602 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेनट 1 ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 3, 37, 23, 124 इनमें से खसरा नम्बर 3 के हाल खसरा नम्बर 5, 6 व खसरा नम्बर 23 के हाल खसरा नम्बर 44, 45 वाके ग्राम भुदा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के रूप में पक्षकार दर्ज है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट के विरूद्ध विधि अनुसार दिनांक 28.11.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया पूर्ण कर बाद सुनवाई दिनांक 28.10.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 15.03.2016 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेनट 1 ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि ख़सरा नम्बर गत 3, 37, 23, 124 इनमें से खसरा नम्बर 3 के हाल खसरा नम्बर 5, 6 व खसरा नम्बर 23 के हाल खसरा नम्बर 44, 45 वाके ग्राम भुदा का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार वाद में तनकी कायम किये बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त कर निर्णय में तनकीवार विवेचन व विश्लेषण किये बिना घोषणा की प्राथमिक डिक्री जारी कर खातेदार की खातेदारी समाप्त करने का निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसके उपरांत बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 19.01.2016 को बिना सुनवाई प्राथमिक डिक्री में संशोधन कर ग्राम भूदा का बास की भूमि खसरा नम्बर 44 व 45, 5 व 6 में संशोधन कर नवीन डिक्री जारी की गई है।

इस प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी खातेदारों को नोटिस जारी कर सूचित नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रालवी में पटवारी हल्का के पत्र दिनांक 21.01.2016 से होती है। यह पत्र पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को संशोधित प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के संदर्भ में है। इस पत्र पर उपर 21.01.2016 अंकित है एवं नीचे पटवारी हल्का भूदा का बास के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 04.02.2016 अंकित है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को संदेह से परे नहीं माना जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किये जाने के आज्ञापक प्रावधान नियत किये हुये है। प्रस्तुत प्रकरण में इसकी पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर